संख्या- 21/1729/38-3-2015-13(चिकित्सा)/2015

प्रेषक,

डा0 हरिश्चन्द्र,
विशेष कार्याधिकारी,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक- 30 अक्टूबर, 2015

विषयः- श्री सतीश कुमार, आशुलिपिक, जिला विकास कार्यालय जौनपुर की स्वयं की चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-बी-1748/स्था0-2/ग्रा0वि0अ0/चि0प्र0पू0/2015-16, दिनांक 02-09-2015 के साथ संलग्न समस्त बिल बाउचर्स तथा अन्य संगत अभिलेखों को मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011 यथा संशोधित 2014 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत श्री सतीश कुमार, आशुलिपिक, जिला विकास कार्यालय, जौनपुर की स्वयं की चिकित्सा पर व्यय हुयी धनराशि के सापेक्ष मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जौनपुर द्वारा की गयी संस्तुति/प्रतिपूर्ति हेतु प्रतिहस्ताक्षरित धनराशि रू0 5,43,619/- (रू0 पांच लाख तैंतालिस हजार छः सौ उन्नीस मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं, कि उक्त धनराशि का भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत बिल/बाउचर्स का भुगतान प्रथम बार किया जा रहा है तथा इस हेतु कोई चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत किया गया है, तो उसका समायोजन कर लिया जाय।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक ''2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-आयोजनेत्तर-102-सामुदायिक विकास- 06-संग्रहीत जिला कार्यालय के अन्तर्गत 49-चिकित्सा व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्गत उ0प्र0 सरकारी कर्मचारी (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011 यथासंशोधित 2014 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक-यथोक्त (मूलरूप में)

भवदीय,

(डा0 हरिश्चन्द्र)
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या-21/1719/38-3-2015,तद्दिनांक

प्रतिलपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, जौनपुर।
3. जिला विकास अधिकारी, जौनपुर।
4. श्री सतीश कुमार, आशुलिपिक जिला विकास कार्यालय जौनपुर द्वारा जिला विकास अधिकारी जौनपुर।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कामता प्रसाद)
अनुसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in